





बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

हमारा गाँव हमारी योजना



श्री नीतीश मिश्रा
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार



श्री जीतन राम मांझी
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

राज्य का अनूठा एवं नूतन पहल

24 दिसम्बर को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा सम्पन्न होना है




- IPPE के अन्तर्गत "हमारा गाँव हमारी योजना" के तहत वार्ड सभा द्वारा ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से उनकी एवं समुदाय की जरूरतों के आधार पर चयनित सभी योजनाओं को संकलित कर पंचवर्षीय महायोजना ग्राम सभा से 24 दिसम्बर, 2014 के अनुमोदन कराना है।
- ग्राम सभा पंचायतों के अधिसूचित मुख्यालयों में होगी।
- मनरेगा के तहत सभी वार्डों की योजनाओं की प्राथमिकता सूची से कम से कम एक योजना प्रति वार्ड पंचायतवार समेकित कर ग्राम सभा से अनुमोदित कराना।
- प्रथम वित्तीय वर्ष में सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना सबसे पहले पूरा किया जाएगा तथा अगले वर्षों में शेष चयनित योजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
- पंचायतवार काम की मांग का मासिक पंचांग (Seasonality Calendar) को अनुमोदित करना।
- मनरेगा के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए श्रम बजट अनुमोदित करना।
- ग्राम सभा की कार्रवाई की अविच्छिन्न (uncut) वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी जिसे निर्धारित शुल्क पर प्रखंड कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।
- ग्राम सभा से पारित सभी योजनाओं को जिलों के वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
- ग्राम सभा से संबंधित शिकायत दिनांक 25.12.2014 तक टॉल फ्री नम्बर 18001208001, फैक्स नं.-0612-2217857 तथा ई-मेल आई.डी. ipperdd@gmail.com पर किया जा सकता है।




बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

हमारा गाँव हमारी योजना

राज्य का अनूठा एवं नूतन पहल



श्री नीतीश मिश्रा
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार



श्री जीतन राम मांझी
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

24 दिसम्बर को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा सम्पन्न होना है

- IPPE के अन्तर्गत “हमारा गाँव हमारी योजना” के तहत वार्ड सभा द्वारा ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से उनकी एवं समुदाय की जरूरतों के आधार पर चयनित सभी योजनाओं को संकलित कर पंचवर्षीय महायोजना ग्राम सभा से 24 दिसम्बर, 2014 के अनुमोदन कराना है।
- ग्राम सभा पंचायतों के अधिसूचित मुख्यालयों में होगी।
- मनरेगा के तहत सभी वार्डों की योजनाओं की प्राथमिकता सूची से कम से कम एक योजना प्रति वार्ड पंचायतवार समेकित कर ग्राम सभा से अनुमोदित कराना।
- प्रथम वित्तीय वर्ष में सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना सबसे पहले पूरा किया जाएगा तथा अगले वर्षों में शेष चयनित योजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
- पंचायतवार काम की मांग का मासिक पंचांग (Seasonality Calendar) को अनुमोदित करना।
- मनरेगा के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए श्रम बजट अनुमोदित करना।
- ग्राम सभा की कार्रवाई की अविच्छिन्न (uncut) वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी जिसे निर्धारित शुल्क पर प्रखंड कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।
- ग्राम सभा से पारित सभी योजनाओं को जिलों के वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
- ग्राम सभा से संबंधित शिकायत दिनांक 25.12.2014 तक टॉल फ्री नम्बर 18001208001, फैक्स नं.-0612-2217857 तथा ई-मेल आई.डी. ipperdd@gmail.com पर किया जा सकता है।

आइये विकास एवं समृद्धि की ओर मिलकर बढ़ाएं एक कदम पुरजोर

